FORM-1

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli

No--- **Dated** 20-5-2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 6.450 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of new motor road "Karanprayag-Nanisain-Kandara to kedarkot" in Chamoli district falls within jurisdiction, Kandara & kot village (s) in Karanprayag & Tharali tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 6.450 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Kandara & kot' sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
चमोली

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 20.5.2015. at time 17.00 at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 7.500 hect for the construction of "Karanprayag-Nanisain-Kandara to kedarkot" and forest land 6.450 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Karanprayag & Tharali sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar
Dated: 20-5-2015

L

District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
जिलाधिकारी
चमोली

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत मा.मु.घो. में कर्णप्रयाग-नैनीसैंण मोटर मार्ग के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.280हे. सिविल भूमि, 0.350हे. वन पंचायत भूमि, 5.320हे. आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.500हे भूमि कुल 6.450 हे भूमि का लो.नि.वि को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थराली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, थराली

उपखण्ड थराली परिक्षेत्र के अन्तर्गत कर्णप्रयाग-नैनीसैंण मोटर मार्ग के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु (5.320 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.280 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, मक डिस्पोजल हेतु 0.500हे. 0.350हे. वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 6.450 हे0 वन भूमि) का लो.नि.वि. गौचर –प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थराली) की दिनांक 16-05-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री —————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री शैलेन्द्र सिंह नेगी उपजिलाधिकारी ————— अध्यक्ष
2– श्री शिवानन्द सुमन उप प्रभागीय वनाधिकारी ————— सदस्य
3– श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी ————— सदस्य / सचिव
4– श्री राम लाल बी0डी0सी0 क्षेत्र क्षेत्र पंचायत ————— सदस्य

उप प्रभागीय वनाधिकारी

क्षेत्र पंचायत मटियाँणा
वि0 ख0 नारायणबगड
जिला चमोली

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य योजना के अन्तर्गत मा.मु.घो. में कर्णप्रयाग-नैनीसैंण मोटर मार्ग के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.280हे सिविल भूमि, 0.350हे. वन पंचायत भूमि 5.320हे. आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.500हे. कुल 6.450हे. वन भूमि परियोजना कर्णप्रयाग नैनीसैंण मोटर मार्ग के कण्डारा से केदारकोट मो. मार्ग लो.नि.वि. गौचर, ————— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

बद्रीनाथ वन प्रभाग

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, —————— द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड थराली परिक्षेत्र के अन्तर्गत कण्डारा से ... मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 6.450 हे0 वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— थराली
जनपद — चमोली

(मुहर: उप जिलाधिकारी थराली जिला चमोली)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16/7/15

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— थराली
जनपद — चमोली

(मुहर: उप जिलाधिकारी थराली जिला चमोली)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत मा० मु० घो० में कर्णप्रयाग-नैनीसैंण मोटर मार्ग के कण्डारा से केदारकोट तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.280हे० सिविल भूमि, 0.350हे० वन पंचायत भूमि, 5.320हे० आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.500हे० कुल 6.450हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत कण्डारा से केदारकोट तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु (5.320 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.280 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, मक डिस्पोजल हेतु 0.500हे० 0.350हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 6.450 हे० वन भूमि) का लो०नि०वि० गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 6/1/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ——————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री के० एस० नेगी उपजिलाधिकारी — कर्णप्रयाग ———————— अध्यक्ष
2– श्री त्रिभुवन्द कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी———————————— सदस्य
3– श्री मोहनगिरि गोस्वामी सहायक समाज कल्याण अधिकारी———— सदस्य / सचिव
4– श्री विजय सिंह पंवार बी0डी0सी0 क्षेत्र — क्षेत्र पंचायत ————— सदस्य

उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य योजना के अन्तर्गत मा० मु० घो० में कर्णप्रयाग-नैनीसैंण मोटर मार्ग के कण्डारा से केदारकोट तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.280हे० सिविल भूमि 0.350हे० वन पंचायत भूमि, 5.320हे० आरक्षित वन भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.500हे० (कुल 6.450हे० वन भूमि परियोजना कर्णप्रयाग नैनीसैंण मोटर मार्ग के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग, लो०नि०वि० गौचर —————— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

बद्रीनाथ वन प्रभाग

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ——————द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 6.4506 हे0 वन भूमि लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद चमोली

शकुन्तला देवी बुटोला
प्रधान
ग्राम पंचायत-कोट

विकासखण्ड.-नारायणबगड़
जिला-चमोली
उत्तराखण्ड

निवास-ग्राम-कोट,पोस्ट-कोठुली,वि. ख.-नारायणबगड़ ,जिला-चमोली (उत्तराखण्ड)
मो0 9536917116,08991322029,9627436174

पत्रांक ....[illegible]

दिनांक 15.12.2014

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कणप्रयाग से कोट केदारकोट स्वीकृत 10 कि०मी० मोटर मार्ग जिसका सर्वेक्षण लो०नि०वि० गौचर द्वारा किया गया उक्त मोटर मार्ग से अधिक से अधिक आबादी जुड़ रही है साथ ही दोनों विकास खण्ड कर्णप्रयाग एवं नारायणबगड़ आपस में जुड़ रहे हैं और दोनों विकासखण्डों की जनता को पूर्ण आवागमन का फायदा हो रहा है तथा उक्त मोटर मार्ग में कहीं भी विवाद की स्थिति नहीं है और पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो रहा है जनहित में उक्त मोटर मार्ग कर्णप्रयाग से नारायणबगड़, थराली एवं कर्णप्रयाग से कोट केदार कोट [illegible] मुख्य मोटर मार्ग बन सकता है दोनों विकासखण्डों का फायदा देखते हुए उक्त मोटर मार्ग पर अतिशीघ्र कार्यवाही करते हुए कार्य निर्माण प्रारम्भ करवाया जाय इसमें ग्राम पंचायत कोट एवं केदार कोट की किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है

प्रधान ग्राम पंचायत कोट
हस्ताक्षर ....
दिनांक 15/12/2014
विकासखण्ड-नारायणबगड़ (चमोली)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 06/02/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कोट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	गंगेश्वरी देवी वार्ड सदस्य	गंगेश्वरी देवी
2-	देवी प्रसाद "	देवी प्रसाद
3-	बसन्ती देवी "	अं. नि. (बसन्ती देवी)
4-	दलबीर सिंह "	[illegible]
5-	सुनीता देवी " उपप्रधान	सुनीता देवी
6-	सदानन्द कल्याण समिति अध्यक्ष	सदानन्द
7-	बचन सिंह पूर्व उपप्रधान	बचन सिंह
8-	देवेश्वरी देवी म. मंगलदल अध्यक्ष	देवेश्वरी देवी
9-	राम लाल - सदस्य क्षेत्र पंचायत - भटियाणा	Ramlal
		सदस्य क्षेत्र पंचायत भटियाणा वि० ख० नारायणबगड़ जिला चमोली

ह० /–
ग्राम प्रधान

संप्रेषित
पर्यवेक्षित

ग्राम पंचायत सचिव दिनांक वि० ख० नारायणबगड़ (चमोली)

प्रधान ग्राम पंचायत कोट हस्ताक्षर दिनांक वि० ख० नारायणबगड़ (चमोली)

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –कण्डारा
तहसील–कर्णप्रयाग, जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद –चमोली–के अन्तर्गत कण्डारा से केदारकोट मो० मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (5.320 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.280 हे0 सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 0.500 हे0 वन पंचायत भूमि 0.350 हे0) अर्थात कुल 6.450 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत –कण्डारा– द्वारा दिनांक 9.2.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम –कण्डारा– के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि –6.450– हे० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
ग्रा० वि० अधि०
(ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, क्षेत्र–कण्डारा, वि०ख० कर्णप्रयाग (चमोली))

ह0/–
ह० राजेश्वरी देवी
ग्राम प्रधान
(प्रधान ग्राम पंचायत कण्डारा, दिनांक ...., वि०ख०–कर्णप्रयाग (चमोली))

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 09-2-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कण्डारा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	अनिल सिंह कण्डारी उप प्रधान	[signature]
(2)	राजेन्द्र कुमार वार्ड सदस्य	राजेन्द्र कुमार
(3)	मुन्नी देवी "	मुन्नी देवी
(4)	विशोदा देवी "	
(5)	भादी देवी पंवार	भादी देवी
(6)	जयन्ती देवी	नन्दा देवी
(7)	नन्दा देवी महिला मंगल दल अध्यक्ष	जयन्ती देवी
	Panwar सदस्य क्षेत्र पंचायत कण्डारा वि0 ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)	

ह0 / –
ग्राम प्रधान

ह0 शमशेर सिंह
प्रधान ग्राम पंचायत कण्डारा
दिनांक
वि0ख0-कर्णप्रयाग (चमोली)

ह0 अपठ
व0 र्प0 अधि0
विशम्बर सिंह
ग्राम पंचायत अधिकारी
कर्णप्रयाग (चमोली)